2017/00542

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री जोगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा निवासी जोशी करणी मोहल्ला नई लाईन, गंगाशहर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 272/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

08.01.18

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 1231–32 दिनांक 05.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कोषालय में उपलब्ध अभिलेखों की बाद तलाशी अपीलार्थी द्वारा दिये गये चार पत्रों में से रेकर्ड में उपलब्ध तीन की प्रतियां अपीलार्थी को प्रेषित करदी गई है। पत्र संख्या 329 दिनांक 22.01.09 कोषालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। भोतिक सत्यापन की रिपोर्ट व बिन्दु संख्या 3(2) में चाही गई सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करदी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर